संख्या 39/2018/21-उर्दू-2-2018

प्रेषक

मोहम्मद अख़लाक़ खां
विशेष सचिव
उ०प्र०शासन

सेवा में

शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)
उत्तर प्रदेश लखनऊ

भाषा (उर्दू) अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 28 सितम्बर 2018

विषय: उर्दू की वैकल्पिक प्रवीणता परीक्षा वर्ष 2018-2019 के संचालन हेतु प्रथम क़िस्त के रूप में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में सरकारी अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए उर्दू की वैकल्पिक प्रवीणता परीक्षा संपन्न कराने हेतु श्री राज्यपाल महोदय प्रावधानित रू०2,50,000/-लाख की धनराशि के सापेक्ष प्रथम क़िस्त के रूप में रु०1,25,000(रूपये एक लाख पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने एवम व्यय हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं

2- उक्त धनराशि शासन के निर्देशानुसार आपके माध्यम से रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षायें उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा व्यय की जायेगी और परीक्षा सम्बन्धी औपचारिकताओ के पूर्ण होने एवम पुरस्कार वितरण के पश्चात पूर्ण धनराशि का लेखा-जोखा एवम निर्धारित प्रारूप में उपभोग प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत किया जायेगा

3- उक्त धनराशि पर वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड-5 भाग-1 के अध्याय-16-ए- के अंतर्गत निहित प्राविधान लागू होंगे

4- उक्त पर होने वाले व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान सॅख्या 039 के अधीन लेखा शीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-आयोजनेत्तर - 05- भाषा विकास -102- आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का संवर्धन 06- राज्य कर्मचारिओं को उर्दू की दक्षता परीक्षा पास करने पर पुरस्कार की योजना-20- सहायता अनुदान -सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

भवदीय

(मोहम्मद अख़लाक़ खां)
विशेष सचिव।

संख्या-39(1)/इक्कीस-उर्दू-2-2018(170(21)/2005 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- प्रधान महालेखाकार (जनरल एंड सोशल) सेक्टर ऑडिट उ०प्र० इलाहाबाद
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ०प्र० इलाहाबाद
3- महालेखाकार(लेखा परीक्षा)प्रथम/ द्वितीय उ०प्र० इलाहाबाद।
4- कोषाधिकारी उ०प्र० इलाहाबाद
5- सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उ०प्र०/रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षायें उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि व्यय विवरण शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) के माध्यम से शासन को प्रेषित किया जाये
6-उप शिक्षा निदेशक (उर्दू) उ०प्र०लखनऊ
7- वित्त(व्यय-नियन्त्रण)अनुभाग-7
8- वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1
9- वरिष्ठ मुख्य लेखाधिकारी शिक्षा निदेशालय उ०प्र० इलाहाबाद
10- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी उ०प्र० हिन्दी संस्थान लखनऊ।
11- भाषा (उर्दू) अनुभाग-4
12-स्वीकृति पंजी
13- गार्ड फाइल

आज्ञा से

(नियाज़ अहमद खां)
अनु सचिव (भाषा)

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।